

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र सं०- 09/उपा०बीज०अनु०-16/2016 6336 /क० पटना, दिनांक 16-10-2017

प्रेषक : हिमांशु कुमार राय, मा० प्र० से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में : मेसर्स श्री लक्ष्मी तराई एग्री सीड्स,
बिहारशरीफ, नालंदा।

विषय : बीज बिक्री अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

आपसे प्राप्त प्रपत्र-ए.कोषागार चालान, स्थल जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर बिहार राज्य में बीज बेचने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन क्रमांक-7 के लिए पंजीकरण किया जाता है:-

1. बीज अधिनियम 1966 के सभी धाराओं को आप पूरा-पूरा पालन करेगें।
2. बीज बिक्री एवं भंडारण का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशालय को हर माह के 20 तारीख तक भेजें। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
3. बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अंतर्गत घोषित बीज समय-समय पर बीज नमूना जाँच के लिए लेंगे।
4. हर बिक्री के लिए अलग पंजीकरण कर दें। बिक्री केन्द्रों की संख्या में यदि वृद्धि करें तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी को देते हुए उसकी पंजीकरण के लिए 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र दें अन्यथा अवैध ढंग से व्यापार करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
5. बीज बिक्री हेतु बीज विक्रेता नियुक्त कर सकते हैं।
6. पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या.....43/2017.....संलग्न है।
7. राज्य के लिए केवल अनुशसित/अधिसूचित बीज का ही व्यापार संलग्न सूची के अनुसार करेगें।
8. पंजीकरण की वैधता तिथि.....15/10/2020.....तक मान्य है।
9. कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :- बीज की सूची संलग्न।

विश्वासभाजन,

(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-

6336

/क०, पटना, दिनांक 16-10-2017

प्रतिलिपि:- 1. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/ उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) तेलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/ सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई०२टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

मेसर्स श्री लक्ष्मी तराई एग्री सीड्स द्वारा राज्य में निम्न प्रभदों का व्यवसाय किया जाएगा।

पत्रांक: 6336

दिनांक: 16-10-17

LIST OF SEEDS

SR. NO	CROP	VARIETIES
1	Wheat	Lok-1, PBW-343, PBW-154, UP-2425, PBW-502, WH-711, UP-262

- कृषि निदेशालय के ज्ञापंक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

Ne

(Signature)
11-10-17

(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

(Signature)



FORM 'B'
(See Clause 5)

LICENCE TO CARRY ON BUSINESS OF A DEALER IN SEEDS

Licence No 43/2017 Date 16/10/2017

Subject to the provisions of seed (Control) Order, 1983 and to the terms and conditions of the licence Sri मेसर्स श्री लक्ष्मी तराई एग्रो सीड्स, बिहारशरीफ, नालंदा is hereby granted licence to sell, export, import and store for the said purposes of seeds.

2. The licensee shall carry on the afore-said business मेसर्स श्री लक्ष्मी तराई एग्रो सीड्स, बिहारशरीफ, नालंदा. the details of boundary of places for storage and sale appear below.

Place of Storage	Place of Sale
मेसर्स श्री लक्ष्मी तराई एग्रो सीड्स, NH-31, मंगला स्थान, बिहारशरीफ, नालंदा,	मेसर्स श्री लक्ष्मी तराई एग्रो सीड्स, दूकान संख्या-20, बिहारशरीफ, नालंदा।
पूरब - NH-31 एवं जगदीश साव	पूरब - दूकान संख्या-19 (उर्वरक दुकान)
पश्चिम - सुनिता प्रकाश का गोदाम	पश्चिम - दूकान संख्या-21 (चूडी दुकान)
दक्षिण - श्री नरेश यादव का परती जमीन	दक्षिण - मेन रोड
उत्तर - मेसर्स आशयर ट्रैक्टर का गैरज	उत्तर - बाजार समिति प्रांगण

Date : 16/10/2017

Seal : 05/3407 नील/सदर 16/2016 - 6336

Handwritten signature
11.10.17

Licensing Authority
Director of Agriculture
Bihar, Patna

TERMS AND CONDITIONS OF LICENCE

1. The licence shall be displayed at a prominent and conspicuous place in a part of the business premises open to the public.
2. The holder of the licence shall comply with the provisions of the seed (Control) order, 1983 and the notifications issued there under and for the time being in force.
3. This licence comes into force with immediate effect and shall be valid upto 15/10/2020 Unless previously cancelled or suspended.
4. The holder of the licence shall from time to time report to the licensing authority and change in the premises where he carries on his business of sale, export, import or storage for the said purposes seeds.
5. The licence shall give every facility to the licensing authority or any other officer acting under his authority for the purpose of inspecting his stock in any shop, depot or godown or other place/places used by in him for the purpose of storage. Sale or export of seed.
6. Seperate licence should be obtain if business is carried more than one place (For each place separately).